न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 96 / 15

निर्णय दिंनाक 18.05.2017

1. मूलचंद पुत्र कान्हा जाति नाथ निवासी ग्राम अरनेठा तहसील केशोराय पाटन जिला बून्दी।

बनाम

1. हीरालाल दत्तक पुत्र केसरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवारा तहसील कनवास।

उपस्थित :—

वादी स्वंय

प्रतिवादी 01 स्वयं एवं 02 पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (कोटा)

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि माल ग्राम ढोटी पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास में खसरा नंबर 1319 की रबा 1.41 है0, आराजी स्थित है, तथा इसी माल ग्राम में प्रतिवादी नंबर 01 के खाते में भी खसरा नंबर 1318 की रकबा 1.41 है0, आराजी है।
यह कि बन्दोबरत सम्वत 2058—77 से पूर्व वादी के खसरा नंबर 1319 का पुराना खसरा नंबर 850 मी0 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा था जो कि मूल खसरा नंबर 850 की 17 बीघा 08 बिस्वा आराजी के दो भागों में बंटने के कारण वादी का पुराना खसरा नंबर 850 मी0 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा उत्तरी दिशा में था उसी पर वादी काबिज काश्त था तथा आज भी उसी पर काबिज काश्त है तथा दूसरी तरफ प्रतिवादी नंबर 01 हीरालाल को भी खसरा नंबर 850 मी0 की ही रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा आराजी विरासत में प्राप्त हुई जो बन्दोबरत 2058 से 77 से पूर्व व बाद तक मोत्या बाई बेवा केसरीलाल ब्राहम्ण के खाते थी जो 08 बीघा 14 बिस्वा दक्षिण दिशा में थी तथा आज भी प्रतिवादी नंबर 01 दक्षिण दिशा में कब्जे काश्त कर रहा है जबकि बन्दोबरत 2058 से 2077 द्वारा प्रतिवादी नंबर 01 के गत खसरा नंबर 850 मी0 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा के नये नम्बर 1318 बनाये उत्तरी तरफ स्थित है जबकि प्रतिवादी नंबर 01 मौके पर दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 1319 को काश्त कर

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

रहा है तथा दूसरी तरफ वादी के खाते में खसरा नंबर 1319 है पर मौके पर खसरा नंबर 1318 पर कब्जे काश्त कर रहा है, इस प्रकार बन्दोबस्त कर्मचारियों की त्रुटि के कारण वादी व प्रतिवादी नंबर 01 के बन्दोबस्त 2058–77 से पूर्व की मौके व रिकार्ड की स्थिती में परिवर्तन हो गया है जिसे दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है वादी को उक्त त्रुटि की जानकारी जब वादी अपने खाते की जीन पर विधुत कनेक्शन करवाने हेतु फाईल भरने गया तब हला पटवारी से जानकारी मिली कि आपके खाते के खसरा नंबर व मौके पर काश्त में अन्तर है।

वादी द्वारा पुनः अपने तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व इन्द्राज दुरूस्ती की डीक्री पारित की जाकर वादी को माल ग्राम ढोटी पटवार हल्का ढोटी की खसरा नंबर 1319 रकबा 1.41 है0, के स्थान पर खसरा नंबर 1318 रकबा 1.41 है0, का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को भी खसरा नंबर 1318 रकबा 1.41 है0, के स्थान पर खसरा नंबर 1319 रकबा 1.41 है0, का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया पत्रावली को सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत की गई, प्रतिवादी क्रम 01 स्वंय उपस्थित प्रतिवादी क्रम 02 की ओर से तहसीलदार कनवास उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्तदीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब सरकार तथा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि वादी को माल ग्राम ढोटी पटवार हल्का ढोटी की खसरा नंबर 1319 रकबा 1.41 है0, के स्थान पर खसरा नंबर 1318 रकबा 1.41 है0, का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को भी खसरा नंबर 1318 रकबा 1.41 है0, के स्थान पर खसरा नंबर 1319 रकबा 1.41 है0, का खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते हैं

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि माल ग्राम ढोटी पटवार हल्का ढोटी की खसरा नंबर 1319 रकबा 1.41 है0, के स्थान पर खसरा नंबर 1318 रकबा 1.41 है0, का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 01 को भी खसरा नंबर 1318 रकबा 1.41 है0, के स्थान पर खसरा नंबर 1319 रकबा 1.41 है0, का खातेदार घोषित किया जावे तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

18.05.2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी

उपखण्ड कनवास जिला कोटा

1. मूलचंद पुत्र कान्हा जाति नाथ निवासी ग्राम अरनेठा तहसील केशोराय पाटन जिला बून्दी।

बनाम

1.हीरालाल दत्तक पुत्र केसरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर, टी एक्ट

मुकदमा नं 96/15 सन 2015 निर्णय दिंनाक 18.05.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय एवं प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम ढोटी पटवार हल्का ढोटी की खसरा नंबर 1319 रकबा 1.41 है0, के स्थान पर खसरा नंबर 1318 रकबा 1.41 है0, का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 01 को भी खसरा नंबर 1318 रकबा 1.41 है0, के स्थान पर खसरा नंबर 1319 रकबा 1.41 है0, का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत .. X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X . ..फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/05/2017 को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई	रूपया.	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ''''	----------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा ''''	----------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास